रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार जनवरी 29, 1998/माघ 9, 1919
No. 67] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 1998/MAGHA 9, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या 36/1997—2002

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1998

का. आ. 91(अ).—का. आ.संख्या 283(अ) दिनांक 31-3-1997 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-2, खंड-3, उप-खंड (2) में प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. निर्यात और आयात नीति के पैरा 8.15 में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—
स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों तथा उनसे निर्मित वस्तुओं की स्कीम का लाभ उठाने वाले निर्यातक स्वर्ण/चांदी/प्लेटनम नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकते हैं। नामित एजेंसियाँ एम एम टी सी लिमिटेड, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (पी ई सी) भारतीय परियोजना और उपकरण लिमिटेड (पी ई सी) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी।
2. निर्यात और आयात नीति के पैरा 8.32 को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :—
"आयातित वस्तुओं का पुनः निर्यात और घरेलू बाजार से खरीदी गई वस्तुओं का निर्यात जिनमें ऐसी वस्तुओं से आंशिक रूप से संसाधित/विनिर्मित वस्तुएं शामिल हैं, अनुमत होंगी। इनके अलावा उचित शुल्क का भुगतान करने पर वैध आर ई पी/रत्न प्रतिपूर्ति/हीरा अग्रदाय लाइसेंस के धारक आयातित अथवा स्वदेशी तोर पर प्राप्त अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य पत्थरों और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के मूल्य के 5 प्रतिशत तक अनुपयुक्त अपरिष्कृत हीरों और पत्थरों/अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।"
3. निर्यात और आयात नीति के पैरा 8.36 को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :—
"ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों को विगत वर्ष में घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यातों के 10 प्रतिशत मूल्य की खरीद करने की अनुमति होगी। सादा आभूषणों की बिक्रियों के मामले में, प्राप्तकर्ता सीमाशुल्क प्राधिकारियों को नामित एजेंसियों से बिक्री हेतु लागू रियायती शुल्क का भारतीय रुपये में भुगतान करेगा। जड़ित आभूषणों के मामले में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित अनुसार भारतीय रुपये में शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

तथापि ऐसी आपूर्ति निर्धारित मूल्य संयोजन की प्राप्ति की शर्त के अधीन होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल संख्या 1/296/97-पी सी-II]

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 36/1997—2002

New Delhi, the 29th January, 1998

S.O. 91(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 published in the Gazette of India extraordinary, Part-II, Section 3—Sub Section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31.3.97, the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002 :

1. Para 8.15 of EXIM Policy shall be amended to read as :

   "The exporter availing the schemes of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may obtain gold/silver platinum from the nominated agencies. The nominated agencies are MMTC Ltd., Handicraft & Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC). The Projects & Equipments of India Limited (PEC) and any agency authorised by the Reserve Bank of India (RBI)."

2. Para 8.32 of EXIM Policy shall be amended to read as :

   "Re-export of imported goods and export of domestically procured goods including goods generated out of the partial processing/manufacture from such goods are permitted. Besides, supply of unsuitable rough diamonds and precious stones/semi-precious stones upto 5% of value of imported or indigenously procured rough diamonds, precious stones and semi-precious stones to the holders of valid REP/Gem Rep./Diamond Imprest licences on payment of appropriate duty are also permited."

3. Para 8.36 of EXIM Policy shall be amended to read as :

   "EOU/EPZ units are also permitted to sell 10% of value of exports of the preceding year to the DTA. In respect of sales of plain jewellery, the recepient shall pay concessional rate of duty to the Customs in Indian rupees as applicabe to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery duty shall be payable in Indian rupees as notified by the Customs. Such supply shall, however, be subject to the achievement of prescribed value addition."

This issues in public interest.

[F. No. 1/296/97-PC-II)]

L. N. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998